



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 वैशाख 1938 (श0)
(सं0 पटना 378) पटना, सोमवार, 9 मई 2016

परिवहन विभाग

अधिसूचना

2 मई 2016

एस0ओ0 107, दिनांक 9 मई 2016—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (वर्ष 1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा-88 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के बीच हुए पारस्परिक परिवहन प्रारूप समझौता, जो मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा-88 की उप-धारा(5) के अन्तर्गत "बिहार गजट" के दिनांक 26.05.2014 के असाधारण अंक में संख्या 456 के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका है, में निहित प्रावधान के अन्तर्गत पुनरीक्षण एवं संशोधन के उपरान्त प्रकाशन की तिथि से अंतिम रूप से प्रभावीकृत करने के लिए इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करते हैं ।

(सं० 04/एस0टी0ए0पी3-71/2013-2110)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह०)-अस्पष्ट,

सरकार के अवर सचिव।

उपर्युक्त दोनों पक्षकारों के बीच निम्न प्रकार से आपसी करार हुआ

यह कि मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा-63 की उपधारा-3बी0 के अन्तर्गत बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के मध्य पारस्परिक परिवहन समझौता वर्ष 1988 में किया गया था, जो अधिसूचना संख्या 513, दिनांक 23.05.1988 द्वारा अधिसूचित एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में दिनांक 25 मई 1988 को प्रकाशित हुआ था ।

यह कि झारखंड राज्य के गठन के पश्चात् वर्ष 2004 में पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य के बीच एक पारस्परिक परिवहन समझौता किया गया, जिसके द्वारा वर्ष 1988 में बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के मध्य हुए उपर्युक्त पारस्परिक परिवहन समझौता में सम्मिलित बहुत से अन्तर्राज्यीय मार्गों को पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य के बीच आपसी सहमति से संशोधित मार्गों के समूह के साथ हुए समझौता में सम्मिलित किया गया था ।

और यह कि उसके पश्चात् मार्च 2010 में बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के मध्य अतिरिक्त 24 (चौबीस) भिन्न मार्गों पर मंजिली गाड़ियों के परिचालन हेतु मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-88 (7) के अन्तर्गत दोनों राज्यों के मध्य आपसी सहमति हुई थी ।

और यह कि दोनों राज्यों के वाहन स्वामियों के अनुरोध एवं आमलोगों/यात्रियों के परिवहन पैटर्न के आधार पर वर्ष 1988 की तुलना में अन्तर्राज्यीय बस सेवा में कई गुणा वृद्धि किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी ।

और यह कि दोनों राज्यों के मध्य हुए प्रारंभिक दौर की वार्ता में दोनों राज्यों के मध्य नये सिरे से पारस्परिक परिवहन करार किये जाने की आवश्यकता पर दोनों राज्यों द्वारा सहमति प्रकट की गयी ।

इस समझौता प्रारूप के नियमानुसार निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया के अनुरूप, अंतिम रूप से प्रकाशित होने पर, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के मध्य पूर्व में वर्ष 1988 में सम्पन्न हुए एवं अधिसूचित पारस्परिक परिवहन समझौता तथा दोनों राज्यों के मध्य वर्ष 2010 में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-88 (7) के अन्तर्गत 24 (चौबीस) मार्गों पर अस्थायी रूप से मंजिली गाड़ियों के परिचालन हेतु आपसी सहमति से किये गये समझौता के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं अधिप्रावी होगा । साथ ही पूर्व में दोनों राज्यों के मध्य हुए समझौते के आधार पर बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा निर्गत परमिट, इस समझौता से आच्छादित अवधि में वैध माना जाएगा एवं परमिट की मान्य अवधि तक उस पर वाहनों का परिचालन किया जाएगा । यह पारस्परिक परिवहन समझौता तब तक वैध एवं मान्य रहेगा जबतक कि दोनों राज्यों द्वारा लिखित रूप से कारण दर्शाते हुए आपसी सहमति से किये गये दूसरे समझौता द्वारा इसे प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा । इस समझौता/करार में समय-समय पर दोनों राज्यों में से किसी एक राज्य के अनुरोध पर आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए पूरक समझौता किया जा सकेगा ।

बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच पारस्परिक परिवहन करार :-

(पारस्परिक परिवहन समझौता की शर्तें)

1. स्टेज सवारी गाड़ी (मंजिली गाड़ी) परमिट :-

- (क) जिन अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्टेज सवारी गाड़ी सेवा प्रदान करने हेतु बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच पारस्परिक परिवहन समझौता प्रारूप में आपसी सहमति हुई है, उन मार्गों की सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न है । - परिशिष्ट
- (ख) परिशिष्ट में उल्लिखित मार्ग, मार्गांश के साथ प्रत्येक राज्य को आवंटित परमिट की कुल संख्या इस करार के अन्तर्गत प्राप्त सहमति के द्योतक हैं ।
- (ग) पारस्परिक राज्य के बस परिचालकों के द्वारा उस राज्य के प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकार के द्वारा अनुमोदित दर पर ही भाड़ा एवं किराया वसूल किया जाएगा । एक राज्य द्वारा निर्गत टिकट पारस्परिक राज्य में मान्य होगी ।
- (घ) आम यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यथा निदेशित तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रदूषण मानक स्तर की शर्तों को पूरा करने वाले स्टेज सवारी गाड़ी को ही अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परिचालन की अनुमति होगी ।
- (ङ) प्रत्येक बस सेवा की समय सारणी का निर्धारण परमिट निर्गत करने वाले गृह राज्य द्वारा इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा कि समय सारणी का टकराव, उसी मार्ग अथवा उस मार्ग में अधिकतम पड़ने वाले मार्गांश पर, किसी दूसरे बस परिचालक की समय सारणी से न हो । प्रारंभिक समय सारणी का निर्धारण परमिट निर्गत करने वाले प्राधिकार द्वारा पूर्णतः औपबधिक आधार पर किया जाएगा जो कि अधिकतम तीन माह के लिए विधि मान्य होगा, जिसे पारस्परिक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा । उक्त औपबधिक समय सारणी को औपबधिक अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा ।
- (च) परिशिष्ट में उल्लिखित मार्ग का मतलब हमेशा उल्लिखित भाया के माध्यम से दोनों राज्यों में अवस्थित दो टर्मिनल को जोड़ने वाला सबसे नजदीकी एवं सीधा मार्ग है । उक्त परिशिष्ट में दिये गये किलोमीटर में कोई विसंगति बाद में पाये जाने पर उसे शीघ्र दोनों राज्यों के परिवहन प्राधिकारों के बीच पत्राचार के माध्यम से शुद्ध कर लिया जाएगा एवं यह करार के रूपांतरण के रूप में नहीं माना जाएगा ।

- (छ) आवश्यकतानुसार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा- 88 (7) के अन्तर्गत दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति से समझौता में सम्मिलित मार्गों पर प्रत्येक राज्य के द्वारा एक समान संख्या में अस्थायी परमिट निर्गत किया जा सकेगा ।
- (ज) जब तक कि गृह राज्य द्वारा स्वीकृत अस्थायी/स्थायी परमिट पारस्परिक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया जाता है, तबतक उस मार्ग पर परमिटधारी को अगला परमिट/परमिट का नवीकरण स्वीकृत नहीं किया जाएगा बशर्ते कि परिस्थिति परमिट स्वीकृत करने वाले प्राधिकार के नियंत्रण से परे न हो । परमिटधारी द्वारा नये परमिट/परमिट के नवीकरण हेतु आवेदन करते समय पूर्व में उनके पक्ष में निर्गत/नवीकृत परमिट के पारस्परिक राज्य द्वारा निर्गत प्रतिहस्ताक्षर की प्रामाणिक प्रति समर्पित की जाएगी ।
- (झ) जहाँ मार्ग की कुल दूरी 250 कि०मी० अथवा अधिक है, उस मार्ग पर दो वाहनों को मिलाकर एक परमिट निर्गत किये जाने की अनुमति इस शर्त पर दी जा सकेगी कि परमिटधारी द्वारा परमिट निर्गत करने वाले राज्य में निर्धारित परमिट शुल्क की दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा एवं यह भी कि एक परमिट से आवृत्त दोनों वाहनों में से प्रत्येक वाहन का प्रतिदिन एकल खेप (अप अथवा डाउन खेप) परिचालन करना होगा । जहाँ मार्ग की कुल दूरी 250 कि०मी० से कम है, उस मार्ग पर एक वाहन के पक्ष में एक परमिट की स्वीकृति दी जा सकेगी । परमिट निर्गत करने वाले राज्य के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा- 91 के अन्तर्गत प्रावधानित चालक के कार्य करने के घंटा सहित स्टेज सवारी गाड़ी की गति सीमा को ध्यान में रखते हुए खेपों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा ।
- (ञ) किसी एक राज्य के प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर परस्पर दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकार द्वारा बकाये कर, शुल्क की प्राप्ति की तिथि से 30 (तीस) दिनों अन्दर कर दिया जायेगा, बशर्ते कि परमिट प्रतिहस्ताक्षर हेतु अनिवार्य रूप आवश्यक अन्य सभी अपौचारिकतायें पूरी कर ली गयी हो । यदि किसी कारण से निर्धारित समय- सीमा के अन्तर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया जाता है तो अस्वीकृति अथवा विलम्ब के कारणों का उल्लेख लिखित रूप में करते हुए उक्त आशय की सूचना परमिटधारी एवं परस्पर परमिट निर्गत करने वाले राज्य को दी जायेगी । परमिट से आवृत्त वैसा वाहन जिसका प्रारम्भ एवं समापन बिन्दु परमिट निर्गत करने वाले राज्य के अन्तर्गत आते हो तथा पारस्परिक समझौता वाले राज्य में उक्त परमिट पर आवृत्त वाहन का परिचालन करने वाले मार्ग की दूरी 16 कि०मी० से कम हो, ऐसी स्थिति में प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी ।
- (ट) द्विभाषी बोर्ड- बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय मार्ग पर परिचालित होने वाले स्टेज सवारी गाड़ी को हिन्दी एवं बांग्ला दोनों भाषाओं में मार्ग का नाम प्रदर्शित करने वाला बोर्ड लगाना होगा ।
- (ठ) स्थायी/अस्थायी परमिटधारी अपनी इच्छानुसार कभी भी प्राथमिक परमिट निर्गत करने वाले प्राधिकार के समक्ष परमिट का प्रत्यर्पण कर सकेंगे एवं इसकी सूचना व्यक्तिकारी राज्य के प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकार को देंगे । प्राथमिक परमिट स्वीकृत करने वाले प्राधिकार के द्वारा भी परमिट प्रत्यर्पण संबंधी सूचना पारस्परिक राज्य को अभिलेख संधारण हेतु दिया जाएगा ।
- (ड) दोनों पारस्परिक राज्यों द्वारा संबंधित राज्य के मार्ग में पड़नेवाले अधिसूचित बस टर्मिनल/ठहराव पर ही यात्रियों के उतार-चढ़ाव की अनुमति दी जाएगी ।
- (ढ) इस समझौता प्रारूप के परिशिष्ट में सम्मिलित मार्ग में किसी प्रकार के मार्ग विस्तार, मार्ग के भाया में बदलाव अथवा कटौती मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की सुसंगत प्रावधानों के आलोक में परमिट निर्गत करने वाले राज्य द्वारा पारस्परिक राज्य के साथ आपसी सहमति के आधार पर किया जा सकेगा ।
- (ण) जहाँ समझौता प्रारूप के परिशिष्ट में सम्मिलित वैसे मार्ग/मार्गों जिनमें झारखंड राज्य के अन्तर्गत 16 (सोलह) कि०मी० से अधिक दूरी पड़ती है, वैसे मार्गों पर निर्गत परमिट को झारखंड राज्य के द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित कराना आवश्यक होगा एवं परमिटधारी को झारखंड राज्य में लागू पथकर एवं शुल्क का भुगतान करना होगा ।
- (त) बसों का पहुँच बिन्दु वही बिन्दु होगा जो व्यक्तिकारी राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, जिसके क्षेत्राधिकार में पहुँच बिन्दु पड़ता हो, उनसे परामर्श कर निर्धारित किया जाएगा ।
- जहाँ इस समझौता प्रारूप में सम्मिलित किसी मार्ग का प्रारंभ/प्रस्थान बिन्दु पश्चिम बंगाल में कोलकाता एवं/अथवा, हावड़ा अंकित है, उस मार्गपर परमिट निर्गत करने वाले/प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य के प्राधिकार द्वारा उक्त परमिट में अभिलिखित टर्मिनस के अनुसार ही पहुँच बिन्दु माना जाएगा ।
- (थ) किसी स्टेज सवारी गाड़ी में नियमानुसार निर्धारित बैटान क्षमता से अधिक यात्रियों को खड़ा कर देने की अनुमति नहीं होगी ।

(द) एक सौ (100) कि० मी० या अधिक दूरी के मार्गों पर परिचालित सभी बस सेवाएँ द्रुतगामी बस सेवाएँ होंगी । एक सौ (100) कि०मी० से कम दूरी के मार्ग पर परिचालित की जानेवाली बसें द्रुतगामी या साधारण बस सेवा होगी और उनका परिचालन संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में उनके निदेश के अनुसार परिचालित की जा सकेगी ।

2. विशिष्ट परमिट :-

(क) मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं०-59) की धारा-88 (8) के अन्तर्गत निर्गत की जानेवाली पर्यटक/शादी-विवाह/तथा यात्रा पार्टी से संबंधित विशिष्ट परमिट निर्गत करने पर किसी राज्य के परिवहन प्राधिकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।

(ख) ऐसे विशिष्ट परमिट के साथ जहाँ संभव हो परमिट निर्गत करने वाले प्राधिकार द्वारा स्वीकृत एवं प्रामाणिक हस्ताक्षरयुक्त एवं मुहरित यात्रियों की सूची संलग्न रहेगी । साथ ही साथ पार्टी द्वारा भ्रमण किये जानेवाले स्थल के संबंध में विस्तृत यात्रा कार्यक्रम की प्रति संलग्न रहेगी ।

उक्त सूची/विवरणी दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति अप यात्रा एवं दूसरी प्रति वापसी यात्रा के लिए होगी जो परमिट पर अच्छी तरह से चिपकायी रहेगी जबकि यात्रियों, यात्रा कार्यक्रम एवं भ्रमण स्थल की विवरणी संक्षिप्त रूप में परमिट में भी अंकित होगी । उक्त विवरणी के बगैर कोई परमिट विधिमान्य नहीं होगा । पथकर/शुल्क इत्यादि के भुगतान के तरीके एवं भुगतान पानेवाले की विवरणी परमिट पर अंकित होगी ।

3. निजी सेवा यान (मौलिक परमिट) :-

(क) पारस्परिक राज्यों में से किसी भी एक राज्य के परिवहन प्राधिकार द्वारा निजी सेवा यान के परमिट के प्रतिहस्ताक्षर हेतु अनुशंसा किये जाने पर पारस्परिक राज्य के परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-76 के प्रावधान के आलोक में प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(ख) निजी सेवा यान के पक्ष में निर्गत परमिट के प्रतिहस्ताक्षर हेतु अनुशंसा दूसरे राज्य में आवेदनकर्ता के व्यवसाय की प्रामाणिकता संबंधी पूरी जांच करने के उपरांत ही किया जाएगा ।

(ग) पारस्परिक राज्य के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इस प्रकार के परमिट से आवृत्त मोटर गाड़ियों का व्यवहार, इन्टर स्टेट ट्रान्सपोर्ट के रूप में नहीं किया जाएगा ।

4. मालवाहक वाहन (अस्थायी परमिट) ।-मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-87 के अन्तर्गत दो राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परिचालन हेतु अधिकतम एक माह के लिए अस्थायी परमिट किसी एक राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा व्यक्तिकारी राज्य की पूर्व सहमति के बिना एक अप एवं एक डाउन खेप के लिए निर्गत किया जा सकेगा । उक्त अस्थायी परमिट निम्नलिखित शर्तों पर निर्गत किये जाएँगे :-

(क) पारस्परिक राज्य के क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्णतः पड़नेवाले किसी दो बिन्दुओं के बीच ना तो कोई माल उठाया जाएगा और न ही कोई माल उतारा जाएगा । उदाहरणस्वरूप, ऐसी गाड़ियों का व्यवहार इन्टर-स्टेट ट्रान्सपोर्ट के रूप में नहीं किया जाएगा ।

(ख) ऐसी अस्थायी परमिट दो टर्मिनल को जोड़नेवाले सीधे एवं न्यूनतम दूरी के मार्ग के लिए निर्गत किया जाएगा और यह भी कि यह परमिट पारस्परिक राज्य के परिवहन प्राधिकार द्वारा लागू किये गये शर्तों के अन्तर्गत होगा ।

5. करारोपण :-

(क) इस समझौता के आलोक में परमिट का निर्गमन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही किया जाएगा ।

(ख) इस पारस्परिक परिवहन समझौता से आच्छादित सभी प्रकार के परिचालित मोटर वाहनों पर "डबल बिन्दु करारोपण" लागू होगा । मोटर वाहनों के संदर्भ में "डबल बिन्दु करारोपण" का मतलब यह है कि किसी एक राज्य की सभी परिवहन गाड़ियों को पारस्परिक राज्य के क्षेत्र में प्रवेश करने पर माल एवं यात्री कर, प्रवेश कर या पारस्परिक दूसरे राज्य में लागू सभी प्रकार के करों का भुगतान करना होगा । "डबल बिन्दु करारोपण" पारस्परिक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर की अवधि के लिए लागू होगा ।

(ग) परमिट निर्गत करने वाले गृह राज्य के परिवहन प्राधिकार द्वारा सभी प्रकार के कर/ बकाये कर की वसूली में पारस्परिक राज्य को सभी संभव उपायों से सहयोग प्रदान किया जाएगा ।

(घ) परमिट निर्गत करने वाले राज्य के द्वारा परमिट के नवीकरण, वाहन के प्रतिस्थापन अथवा अन्तर्राज्यीय परमिट के प्रत्यर्पण के समय पारस्परिक राज्य के कर भुगतान की जांच की जाएगी ताकि दोनों में से किसी राज्य के राजस्व की क्षति न हो ।

(ङ) अस्थायी परमिट एवं विशिष्ट परमिट के आवेदन पर पारस्परिक राज्य के करों के भुगतान हेतु समर्पित बैंक ड्राफ्ट की संख्या, सन्निहित राशि के साथ साथ भुगतान प्राप्त करने वाले की विवरणी स्पष्ट रूप से अंकित की जाएगी ।

(च) सभी प्रकार के परमिट, अस्थायी परमिट एवं विशिष्ट परमिट की प्रतियाँ संबंधित सूचना सहित पारस्परिक राज्य के सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार को भेजा जाएगा । उक्त परमिट की प्रतियाँ

बैंक ड्राफ्ट के साथ अविलम्ब उस प्राधिकार को भेजा जाएगा, जिस प्राधिकार के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट का भुगतान किया गया हो ।

6. सामान्य :-

- (क) पारस्परिक राज्य सरकार की वैसी सरकारी गाड़ियाँ, जिनका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जाता हो, पारस्परिक दूसरे राज्य में पूर्णतः कर मुक्त होंगी ।
- (ख) पारस्परिक राज्य के प्राधिकार द्वारा निर्गत कर-प्रतीक, निबंधन प्रमाण पत्र, फिटनेश प्रमाण पत्र, वाहन चालक अनुज्ञप्ति, कंडक्टर अनुज्ञप्ति, बैज इत्यादि की स्वीकृति प्रत्येक राज्य द्वारा प्रदान की जाएगी ।
- (ग) करारनामा के अन्तर्गत परिचालित की जानेवाली परिवहन गाड़ियों के संदर्भ में संबंधित राज्यों द्वारा गाड़ी की लदान क्षमता या व्हील बेस, बैटान क्षमता आदि के संबंध में समय-समय पर लगाये गये प्रतिबंध पारस्परिक राज्य द्वारा अवक्रमित नहीं किये जाएँगे ।
- (घ) इस समझौता प्रारूप के नियमानुसार निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया के अनुरूप, अंतिम रूप से प्रकाशित होने पर, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के मध्य पूर्व में वर्ष 1988 में सम्पन्न हुए एवं अधिसूचित पारस्परिक परिवहन समझौता तथा दोनों राज्यों के मध्य वर्ष 2010 में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-88 (7) के अन्तर्गत 24 (चौबीस) मार्गों पर अस्थायी रूप से मंजिली गाड़ियों के परिचालन हेतु आपसी सहमति से किये गये समझौता के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं अधिप्रावी होगा । साथ ही पूर्व में दोनों राज्यों के मध्य हुए समझौते के आधार पर बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा निर्गत परमिट, इस समझौता से आच्छादित अवधि में वैध माना जाएगा एवं परमिट की मान्य अवधि तक उस पर वाहनों का परिचालन किया जाएगा । यह पारस्परिक परिवहन समझौता तब तक वैध एवं मान्य रहेगा जबतक कि दोनों राज्यों द्वारा लिखित रूप से कारण दर्शाते हुए आपसी सहमति से किये गये दूसरे समझौता द्वारा इसे प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा । इस समझौता/करार में समय-समय पर दोनों राज्यों में से किसी एक राज्य के अनुरोध पर आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए पूरक समझौता किया जा सकेगा ।

पश्चिम बंगाल राज्यपाल के निमित्त और उनकी ओर से,

ह0/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, पश्चिम बंगाल, कोलकाता ।

साक्षी

ह0/-

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, पश्चिम बंगाल, कोलकाता ।

बिहार राज्यपाल के निमित्त और उनकी ओर से,

ह0/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

साक्षी

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

(ह0) अस्पष्ट,

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग ।

बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच मार्गों की सूची :-

क्र. सं.	मार्ग का नाम	परमिट का कोटा		मार्ग की दूरी		कुल दूरी	अभ्युक्ति
		पश्चिम बंगाल	बिहार	पश्चिम बंगाल	बिहार		
	1	2 (क)	2 (ख)	3 (क)	3 (ख)	4	5
1	रक्सौल से सिल्लीगुड़ी भाया – मोतिहारी, दरभंगा, प्रतापगंज	10	10	74 कि०मी०	442 कि०मी०	516 कि०मी०	
2	बेतिया से सिल्लीगुड़ी भाया– मोतिहारी, दरभंगा, प्रतापगंज	10	10	74 कि०मी०	437 कि०मी०	511 कि०मी०	
3	वजीरगंज से कोलकाता भाया–हजारीबाग, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्द्धमान	10	10	215 कि०मी०	218 कि०मी०	433 कि०मी०	
4	मोतिहारी से सिल्लीगुड़ी भाया– दरभंगा, प्रतापगंज	10	10	74 कि०मी०	393 कि०मी०	467 कि०मी०	
5	पूर्णियाँ से कोलकाता भाया–फरक्का, मालदा	10	10	326 कि०मी०	141 कि०मी०	467 कि०मी०	
6	पटना से हावड़ा भाया–गया, आसनसोल	10	10	215 कि०मी०	361 कि०मी०	576 कि०मी०	
7	मुजफ्फरपुर से हावड़ा भाया– धनबाद, दुर्गापुर, बर्द्धमान	10	10	215 कि०मी०	388 कि०मी०	603 कि०मी०	
8	मुजफ्फरपुर से सिल्लीगुड़ी भाया–दरभंगा, प्रतापगंज	10	10	74 कि०मी०	312 कि०मी०	386 कि०मी०	
9	छपरा से सिल्लीगुड़ी भाया–दरभंगा, प्रतापगंज	10	10	74 कि०मी०	393 कि०मी०	467 कि०मी०	
10	राजगीर से कोलकाता भाया–हजारीबाग, धनबाद, दुर्गापुर, बर्द्धमान	10	10	215 कि०मी०	291 कि०मी०	506 कि०मी०	
11	बाँका से सिल्लीगुड़ी भाया–पूर्णियाँ, दालकोला	10	10	128 कि०मी०	181 कि०मी०	309 कि०मी०	
12	कटिहार से रामपुरहाट भाया– फरक्का	10	10	136 कि०मी०	93 कि०मी०	229 कि०मी०	
13	सुलतानगंज से मालदा भाया– कटिहार, रतुआ	10	10	54 कि०मी०	186 कि०मी०	240 कि०मी०	
14	भागलपुर से कोलकाता भाया–दुमका, बर्द्धमान	10	10	264 कि०मी०	146 कि०मी०	410 कि०मी०	
15	बिहारशरीफ से कोलकाता भाया–धनबाद, हल्दिया, बर्द्धमान	10	10	215 कि०मी०	279 कि०मी०	494 कि०मी०	
16	गया से कोलकाता भाया–चतरा, धनबाद, आसनसोल	10	10	215 कि०मी०	268 कि०मी०	483 कि०मी०	
17	सासाराम से कोलकाता भाया–गया, हजारीबाग, धनबाद, बर्द्धमान	10	10	215 कि०मी०	405 कि०मी०	620 कि०मी०	
18	मरहर से कोलकाता भाया–धनबाद, आसनसोल, बर्द्धमान	10	10	215 कि०मी०	315 कि०मी०	530 कि०मी०	
19	खेसर से कोलकाता भाया–कटोरिया, देवघर, दुमका, सुरी, बर्द्धमान	10	10	194 कि०मी०	77 कि०मी०	342 कि०मी०	
20	औरंगाबाद से कोलकाता भाया–धनबाद, दुर्गापुर, बर्द्धमान	10	10	215 कि०मी०	292 कि०मी०	507 कि०मी०	
21	पटना से दुर्गापुर भाया– औरंगाबाद, हजारीबाग, धनबाद	10	10	183 कि०मी०	161 कि०मी०	344 कि०मी०	
22	पटना से सिल्लीगुड़ी भाया– बख्तियारपुर, पूर्णियाँ	10	10	128 कि०मी०	355 कि०मी०	483 कि०मी०	

क्र. सं.	मार्ग का नाम	परमिट का कोटा		मार्ग की दूरी		कुल दूरी	अभ्युक्ति
		पश्चिम बंगाल	बिहार	पश्चिम बंगाल	बिहार		
	1	2 (क)	2 (ख)	3 (क)	3 (ख)	4	5
23	कटिहार से बलुरघाट भाया-दालकोला	10	10	156 कि०मी०	72 कि०मी०	228 कि०मी०	
24	जोगबनी से सिल्लीगुड़ी भाया-अररिया, नक्सलबारी	10	10	46 कि०मी०	134 कि०मी०	180 कि०मी०	
25	सहरसा से सिल्लीगुड़ी भाया-पूर्णियाँ, दालकोला	10	10	135 कि०मी०	140 कि०मी०	275 कि०मी०	
26	मुजफ्फरपुर से सिल्लीगुड़ी भाया-ठाकुरगंज	10	10	43 कि०मी०	350 कि०मी०	393 कि०मी०	
27	भागलपुर से रामपुरहाट भाया-दुमका	10	10	14 कि०मी०	164 कि०मी०	178 कि०मी०	
28	कटिहार से रायगंज भाया-दालकोला	10	10	28 कि०मी०	51 कि०मी०	79 कि०मी०	
29	भागलपुर से सिउरी भाया-दुमका	10	10	12 कि०मी०	99 कि०मी०	111 कि०मी०	
30	ठाकुरगंज से सिल्लीगुड़ी भाया-नक्सलबारी	10	10	44 कि०मी०	12 कि०मी०	56 कि०मी०	
31	दरभंगा से सिल्लीगुड़ी भाया-प्रतापगंज	10	10	135 कि०मी०	285 कि०मी०	420 कि०मी०	
32	मधुबनी से सिल्लीगुड़ी भाया-दरभंगा, फारबिसगंज, पूर्णियाँ	10	10	135 कि०मी०	319 कि०मी०	454 कि०मी०	
33	मोतिहारी से सिल्लीगुड़ी भाया-मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ	10	10	135 कि०मी०	441 कि०मी०	576 कि०मी०	
34	छपरा से सिल्लीगुड़ी भाया-हाजीपुर, बेगुसराय, पूर्णियाँ	10	10	135 कि०मी०	387 कि०मी०	522 कि०मी०	
35	पटना से सिल्लीगुड़ी भाया-मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ	10	10	135 कि०मी०	361 कि०मी०	496 कि०मी०	
36	सिवान से सिल्लीगुड़ी भाया-हाजीपुर, बेगुसराय, पूर्णियाँ	10	10	135 कि०मी०	450 कि०मी०	585 कि०मी०	
37	राजगीर से सिल्लीगुड़ी भाया-बिहारशरीफ, बख्तियारपुर, पूर्णियाँ	10	10	135 कि०मी०	329 कि०मी०	464 कि०मी०	
38	कटिहार से सिल्लीगुड़ी भाया-दालकोला	10	10	126 कि०मी०	72 कि०मी०	198 कि०मी०	
39	पटना से बिशनपुर भाया- बहादुरगंज	10	10	15 कि०मी०	226 कि०मी०	241 कि०मी०	
40	भागलपुर से दुर्गापुर भाया-दुमका, मिहिजाम, नियामतपुर, आसनसोल	10	10	56 कि०मी०	204 कि०मी०	260 कि०मी०	
41	पूर्णियाँ से किशनगंज भाया-दालकोला	10	10	17 कि०मी०	53 कि०मी०	70 कि०मी०	
42	पटना से किशनगंज भाया-दालकोला,	10	10	17 कि०मी०	202 कि०मी०	219 कि०मी०	
43	पटना से ठाकुरगंज भाया-पूर्णियाँ, किशनगंज	10	10	30 कि०मी०	345 कि०मी०	375 कि०मी०	
44	पूर्णियाँ से गलगलिया भाया- किशनगंज, दालकोला	10	10	17 कि०मी०	104 कि०मी०	121 कि०मी०	
45	पूर्णियाँ से रायगंज भाया-दालकोला	10	10	47 कि०मी०	46 कि०मी०	93 कि०मी०	

**IT IS NOW MUTUALLY AGREED BY AND BETWEEN THE ABOVE
PARTIES AS FOLLOWS**

Whereas a reciprocal transport agreement was executed between the states of Bihar and West Bengal in 1988 in accordance with sub-Section-3B of Section-63 of the Motor Vehicles Act, 1939 and the same was published vide notification no. 513 dated 23-05-1988 and the said notification had been published in the Bihar Gazette extraordinary on 25th May, 1988.

And whereas, subsequently after the creation of the State of Jharkhand, one reciprocal transport agreement was executed between the State of West Bengal and Jharkhand in 2004, whereby many inter-state routes which were existing in the above-mentioned Reciprocal Transport Agreement, 1988 between the States of Bihar and West Bengal, were included in the agreement executed between West Bengal and Jharkhand with modified fleet strength as agreed upon.

And whereas, subsequently during March, 2010, additional 24(twenty four) different routes were mutually agreed upon in accordance with Section-88(7) of the Motor Vehicles Act, 1988 for operation of stage carriages between the State of West Bengal and Bihar.

And whereas, from the pattern of movement of people and prayers of transporters of both the States, it is felt that the need of Inter-State bus services has increased manifold since 1988.

And whereas, during preliminary discussion between the two States, both the States have expressed necessity of a fresh reciprocal transport agreement.

This draft agreement, on final publication observing required procedures in accordance with law, shall supersede earlier reciprocal transport agreement executed in 1988 between the States of Bihar and West Bengal as well as the mutual concurrence of the two reciprocating States, accorded in March, 2010 under Section-88(7) of the Motor Vehicles Act, 1988 for operation of stage carriages on 24 (twenty four) routes. The existing permits issued by the States of Bihar and West Bengal on the basis of the earlier agreement between the two States shall remain in operation within the coverage of this agreement, after its finalisation. This Reciprocal Transport Agreement shall remain valid till it is replaced by another agreement by mutual consent for reasons to be given in writing by either of the State Governments. This agreement shall be subject to periodical revision at the instance of either State by way of supplementary agreements.

RECIPROCAL TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN BIHAR AND WEST BENGAL:-

(A) STAGE CARRIAGE PERMITS :-

- (i) The list of the routes as agreed upon in the Reciprocal Transport Agreement between the States of Bihar and West Bengal for providing stage carriage services are placed at **Annexure**.
- (ii) The routes mentioned in the Annexure indicate the route alignment, total number of permits allotted to each State as agreed upon under this agreement.
- (iii) The fares and freight chargeable by the operator in the reciprocating State shall be as approved by the countersigning authority. The tickets issued in one State shall be valid in the reciprocating State.
- (iv) For the safety and convenience of passengers, a stage carriage shall be allowed to ply on the Inter- State routes against the vehicles only complying with the emission norms as directed by the Government of India and as per provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and CMV Rules, 1989.
- (v) The time table of every service shall be fixed by the permit issuing State, avoiding clash of timings of other operators on the same route or the routes having maximum alignment overlapped with the said route. The initial time table shall be fixed by the permit issuing State on a purely provisional basis for three months which is to be countersigned by the reciprocating State. This provisional time table will be final after the expiry of the provisional period on meeting the objections, if filed any.
- (vi) The distance mentioned against each route along with alignment thereof is considered as shortest and direct route. Any discrepancy discovered later in the distance shown in the said Annexure shall be promptly corrected through correspondences between the two State Transport Authorities and this shall not be treated as modification of this Agreement.

- (vii) If necessity arises, temporary permits shall be issued under Section 88 (7) of the Motor Vehicles Act, 1988 on mutual concurrence of both the reciprocating States on agreed routes with an equitable number of permits for both.
- (viii) Unless a temporary / permanent permit granted by the home State is countersigned by the reciprocating State, no further permit/renewal of permit on the same route shall be granted to the permit holder except in circumstances beyond the control of grantee. The permit holder while making application for subsequent grant/ renewal of permit, shall submit copy of previous countersignature duly authenticated.
- (ix) Where the total distance of the route is 250 kms. or more, two vehicles can be allowed under a single permit subject to the conditions that the permit holder shall pay double the scheduled permit fees, as applicable in the permit issuing State and also that each of the two vehicles shall ply only a single trip (either Up or Down) per day. Where the total distance of the route is less than 250 kms, single vehicle shall be allowed under a single permit. Number of trips shall be determined by the permit issuing State keeping conformity with the speed limit of stage carriage as well as working hour of a driver as laid down in Section 91 of the Motor Vehicles Act, 1988.
- (x) Permit issued by one State would be countersigned by the reciprocating State within thirty (30) days from the date of receipt of due taxes, fees etc. and on fulfillment of other formalities as are mandatorily required for allowing the countersignature. If such countersignature cannot be allowed within the said period, the permit holder would be informed in writing the reason for disallowing and/or delay in the countersignature with intimation to the permit issuing State. Where the length of a route is within the limit of 16 kms in the reciprocating State, no countersignature of the reciprocating State shall be required if both the starting point and the terminal point lie within the permit issuing State.
- (xi) **Bi-lingual boards-** The stage carriages plying on inter-state routes between Bihar and West Bengal should carry destination board in both Bengali and Hindi languages.
- (xii) Holder of the Permanent/Temporary stage carriage permit, whenever wants to discontinue the service, shall surrender the permit before the primary permit granting authority and intimate the fact to the countersigning authority. The primary permit granting authority shall also intimate the fact of surrender of permit to the reciprocating State for records.
- (xiii) Both the reciprocating State shall allow the Stage Carriages of the other State to pick up and set down the passengers from their respective notified bus terminal.
- (xiv) Any extension/curtailment /variation of route shall be accorded by the permit issuing State in accordance with the relevant provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 subject to the concurrence of the reciprocating State.
- (xv) Where the route/ routes incorporated in this agreement traverses through the State of Jharkhand the related permit is to be got countersigned by the State of Jharkhand on payment of Taxes, fees etc. as applicable in that State.
- (xvi) The terminating point of the Buses shall be the point as prescribed by the State Transport Authority of the reciprocating State in consultation with the Regional Transport Authority within whose jurisdiction the point falls.
Where ever the terminating/originating point in West Bengal of any route incorporated in this agreement has been shown as KOLKATA and/or Howrah, it would be at a terminus as shall be decided and recorded in respective permit by the permit issuing/countersigning authority of the State.
- (xvii) No standees shall be allowed on any stage carriage.
- (xviii) All the bus services operating on the route which are 100 kms. or more shall operate as Express Bus Services and those on the routes which are below 100 kms. shall operate either as Express or Ordinary bus service in accordance with the directions of the concerned State Transport Authority in respective jurisdiction.

(B) SPECIAL PERMITS:-

- (i) There shall be no restriction on special permits to be issued under sub-section (8) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act 59 of 1988) by the State Transport Authority of either State in respect of Tourist/Marriage/Jatra Parties.
- (ii) Such permits shall contain lists of passengers approved and authenticated under proper seal and signature by the permit issuing authority along with approved detailed programme of tour shown in order and places to be visited by the party.

Such lists must be in duplicate, one for the upward journey and the other for the return journey which shall be suitably affixed to the permit while the short description such as number of travelers, place(s) of visit and the programme, etc. must be indicated on the permit. Any permit without such particulars shall be treated as no permit. The manner and mode of remittance of the Fees/Taxes etc. together with the details of the Payee must be indicated on the permit.

(C) PRIVATE SERVICE VEHICLE (Substantive Permit):-

- (i) Private Service Vehicles permits recommended for countersignature by the State Transport Authority of either State is to be countersigned by the State Transport Authority of the reciprocating State without any restriction on their number subject to compliance of the provision of Section 76 of the Motor Vehicles Act, 1988 and Rules in this behalf of the reciprocating State.
- (ii) Recommendation for countersignature in respect of private service vehicles shall be made after a thorough scrutiny of the bonafide of the business of the applicants in other State.
- (iii) Such vehicle shall not be used as intra-State transport within the jurisdiction of the countersigning State.

(D) GOODS CARRIAGE (Temporary Permit).—The Temporary permits may be issued for a maximum period of one month by the State Transport Authority of either State under Section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988 for plying on the inter-state routes between the two State without prior concurrence of the reciprocating State to perform one up and one down trip service, subject to the following conditions:

- (i) No goods shall be picked up or set down in between any two points lying wholly within the areas of the reciprocating State, i.e. such vehicles shall not be used as intra-State transport within the jurisdiction of the reciprocating State.
- (ii) Such temporary permit shall be used for direct and shortest route connecting the two termini and shall be subject to such other conditions as may be imposed by the transport authority of the reciprocating State.

(E) TAXATION:-

- (i) Permits issued under the provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988. This shall also be subject to the Rules and Regulations for collection of taxes/additional taxes/fees etc. as may be in force from time to time in the respective reciprocating States.
- (ii) There shall be “double point taxation” on motor vehicles in respect of all categories of transport vehicles covered under this Reciprocal Transport Agreement. The “double point taxation” in respect of a motor vehicle means the liability of payment of all taxes applicable in the reciprocating State. The double point taxation will be applicable for the period of effect of countersignature by the reciprocating State.
- (iii) The Transport Authority of Home State granting permit shall assist the recovery of taxes/arrears of reciprocating State in all possible ways.
- (iv) At the time of renewal, replacement of vehicle or surrender of inter-State permits, the receipt of payment of taxes of the reciprocating State shall be verified by the permit granting state so that either of the States may not lose revenue.
- (v) The number and amounts of Demand Drafts through which taxes of the reciprocating State have been remitted together with the particulars of the payee

shall be clearly endorsed of the forms of the Temporary Permits and special Permits.

- (vi) Copies of all Temporary Permits and Special Permits, together with all relevant information shall be sent to the Secretary, State Transport Authority of the reciprocating State. Such copies along with Demand Drafts shall also be sent immediately to the authority in whose favour the Demand Draft are drawn.

(F) GENERAL:-

- (i) The vehicles owned by the Government of reciprocating State used for non-commercial purpose shall be totally exempted from payment of motor vehicles tax in the reciprocating State.
- (ii) Each State shall accord recognition to Tax Token, Registration Certificates, Fitness Certificate, Driving Licence, Conductor's Licence, Badges issued by the authority of reciprocating State.
- (iii) The restriction on laden weight of the vehicle or the restriction of wheel-base, seating capacity and such other matter as may be enforced by the respective State shall not be exceeded by the transport vehicles plying under this Agreement and such vehicles shall also abide by any other restriction(s) as existing in the reciprocating State and as may be enforced by the reciprocating State from time to time.
- (iv) This agreement shall supersede earlier reciprocal transport agreement executed in 1988 between the States of Bihar and West Bengal as well as the mutual concurrence of the two reciprocating States, accorded in March, 2010 under Section-88(7) of the Motor Vehicles Act, 1988 for operation of stage carriages on 24 (twenty four) routes. The existing permits issued by the States of Bihar and West Bengal on the basis of the earlier agreement between the two States shall remain in operation within the coverage of this agreement. This Reciprocal Transport Agreement shall remain valid till it is replaced by another agreement by mutual consent for reasons to be given in writing by either of the State Governments. This agreement shall be subject to periodical revision at the instance of either State by way of supplementary agreements.

On behalf of the Governor of West Bengal,

Sd/-

Principal Secretary,

Transport Department, Government of West Bengal.

On behalf of the Governor of Bihar,

Sd/-

Principal Secretary,

Transport Department, Government of Bihar.

Witness

Sd/-

Joint Secretary,

Transport Department, Government of West Bengal.

Witness

Sd/-

State Transport Commissioner,

Transport Department, Government of Bihar.

Sd/-Illegible,

Principal Secretary,

Transport Department.

Bihar-West Bengal Routes

Sl. No.	Route	Quota of Permit		Route Distance		Total Distance	Remark
		West Bengal	Bihar	West Bengal	Bihar		
1.	Raxaul to Silliguri via, Motihari, Darbhanga, Pratapganj	10	10	74kms	442kms	516 kms	
2.	Betiah to Silliguri via Motihari, Darbhanga, Pratapganj,	10	10	74 kms	437 kms	511 kms	
3.	Wazirganj to Kolkata via Hazaribagh, Asansol, Durgapur, Bardhaman,	10	10	215kms	218 kms	433 kms	
4.	Motihari to Silliguri via Darbhanga, Pratapganj	10	10	74 kms	393 kms	467 kms	
5.	Purnea to Kolkata via Farakka, Malda	10	10	326kms	141 kms	467 kms	
6.	Patna to Howrah via Gaya, Asansol,	10	10	215kms	361 kms	576 kms	
7.	Muzaffarpur to Howrah via Dhanbad, Durgapur, Bardhaman	10	10	215kms	388 kms	603 kms	
8.	Muzaffarpur to Silliguri via Darbhanga, Pratapganj	10	10	74 kms	312 kms	386 kms	
9.	Chhapra to Silliguri via Darbhanga, Pratapganj,	10	10	74 kms	393 kms	467 kms	
10.	Rajgir to Kolkata via Hazaribagh,Dhanbad, Durgapur, Bardhaman	10	10	215kms	291 kms	506 kms	
11.	Banka to Silliguri via Purnea, Dalkola	10	10	128kms	181 kms	309 kms	
12.	Katihar to Rampurhat via Farakka	10	10	136kms	93 kms	229 kms	
13.	Sultanganj to Malda via Katihar,Ratua	10	10	54 kms	186 kms	240 kms	
14.	Bhagalpur to Kolkata via Dumka, Bardhaman	10	10	264 kms	146 kms	410 kms	
15.	Biharsharif to Kolkata via Dhanbad, Haldiya, Bardhman	10	10	215 kms	279 kms	494 kms	
16.	Gaya to Kolkata- via Chatra, Dhanbad, Asansol,	10	10	215 kms	268 kms	483 kms	
17.	Sasaram to Kolkata via Gaya, Hazaribagh, Dhanbad, Bardhman,	10	10	215 kms	405 kms	620 kms	

Sl. No.	Route	Quota of Permit		Route Distance		Total Distance	Remark
		West Bengal	Bihar	West Bengal	Bihar		
18	Marhar to Kolkata via Dhanbad, Asansole, Burbhaman	10	10	215 kms	315 kms	530 kms	
19	Khesar to Kolkata- via Katoria, Deoghar, Dumka, Suri, Bardhman,	10	10	194 kms	77 kms	342 kms	
20.	Aurangabad to Kolkata via Dhanbad, Durgapur, Bardhman,	10	10	215 kms	292 kms	507 kms	
21	Patna to Durgapur via, Aurangabad, Hazaribagh, Dhanbad	10	10	183kms	161 kms	344 kms	
22.	Patna to Silliguri Via Bakhtiyarpur, Purnea	10	10	128 kms	355 kms	483 kms	
23	Katihar to Balurghat via Dalkola	10	10	156 kms	72 kms	228 kms	
24	Jogbani to Silliguri via Araria, Naxalbari	10	10	46 kms	134 kms	180 kms	
25	Saharsa to Silliguri via Purnea, Dalkola,	10	10	135 kms	140 kms	275 kms	
26	Muzaffarpur to Siliguri via Thakurganj	10	10	43 kms	350 kms	393 kms	
27	Bhagalpur to Rampurhat via Dumka	10	10	14 kms	164 kms	178 kms	
28	Katihar to Raiganj via Dalkola	10	10	28 kms	51 kms	79 kms	
29	Bhagalpur to Seuri via Dumka	10	10	12 kms	99 kms	111 kms	
30	Thakurganj to Silliguri via Naxalbari	10	10	44 kms	12 kms	56 kms	
31	Darbhanga to Silliguri via Pratapganj	10	10	135 kms	285 kms	420 kms	
32	Madhubani to Silliguri via Darbhanga, Farbisganj, Purnea	10	10	135 kms	319 kms	454 kms	
33	Motihari to Silliguri via Muzaffarpur, Purnea	10	10	135 kms	441 kms	576 kms	
34	Chhapra to Siliguri via Hajipur, Begusarai, Purnea	10	10	135 kms	387 kms	522 kms	
35	Patna to Silliguri via Muzaffarpur, Purnea	10	10	135 kms	361 kms	496 kms	
36	Siwan to Silliguri via Hajipur, Begusarai, Purnea	10	10	135 kms	450 kms	585 kms	

Sl. No.	Route	Quota of Permit		Route Distance		Total Distance	Remark
		West Bengal	Bihar	West Bengal	Bihar		
37	Rajgir to Silliguri via Biharsharif, Bakhtiyarpur, Purnea	10	10	135 kms	329 kms	464 kms	
38	Katihar to Silliguri via Dalkola	10	10	126 kms	72 kms	198 kms	
39	Patna to Bishanpur via- Bahadurganj	10	10	15 kms	226 kms	241 kms	
40	Bhagalpur to Durgapur via- Dumka, Mihijam, Niyamatpur, Asansol	10	10	56 kms	204 kms	260 kms	
41	Purnea to Kishanganj via-Dalkola	10	10	17 kms	53 kms	70 kms	
42	Patna to Kishanganj via-Dalkola	10	10	17 kms	202 kms	219 kms	
43	Patna to Thakurganj via- Purnea, Kishanganj	10	10	30 kms	345 kms	375 kms	
44	Purnea to Galgaliya via- Kishanganj, Dalkola	10	10	17 kms	104 kms	121 kms	
45	Purnea to Raiganj via- Dalkola.	10	10	47 kms	46 kms	93 kms	

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 378-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>